न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 86/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामपाल पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी धारणा तहसील जायल जिला नागौर।		1छगनाराम पुत्र पूसाराम जाति बावरी निवासी धारणा तहसील जायल। 2सचिव, ग्राम पंचायत दुगस्ताउ पंचायत समिति जायल।

उपस्थिति–

1. श्री रामकिशोर मुण्डेल, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री गंगासिंह कालवी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 24.12.2019

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुगस्ताउ द्वारा मिसल सं. 87 के अप्रार्थी सं. 1 छगनाराम के पक्ष में जारी पटटा सं. 37 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 09.12.14 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है तथा अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा सं. 37 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)– अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर पटटा सं. 37 ग्राम पंचायत दुगस्ताउ का जारी करने मे वाक्याति एवं कानूनी भारी भूल की है, जिससे पटटा सं. 37 को खण्डित किया जाकर खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)–ग्राम पंचायत दुगस्ताउ ने पटटा सं. 37 ग्राम धारणा का जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की भूमि विक्रय नियम के अनुरूप मनोनीत सदस्यो द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट न तो मंगाई गई, ना ही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव मे लेकर मिसल सं. 87 का दिनांक आदि दर्ज कर कार्यवाही मे लिया गया, जिससे उक्त पटटा कूटरचित व बनावटी होना प्रमाणित है। इसलिये पटटा सं. 37 ग्राम धारणा का निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)–ग्राम पंचायत (धारणा) दुगस्ताउ पंचायत समिति जायल के पटटा सं. 37 पर केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर दर्शाये है, जिसमे राजस्थान पंचायत विधि के नियम 266 राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के अन्तर्गत पटटासुद स्वामित्व अप्रार्थी सं. 1 छगनाराम का मौके पर कभी कब्जा नही रहा, ना ही आज दिन कब्जा एवं हक मे है, जिससे पटटा जारी करने मे पंचायत ने भारी भूल की है। इसलिये भी पटटा सं. 37 ग्राम पंचायत दुगस्ताउ का बिना दिनांक का निरस्तनीय है।

2(4)–अप्रार्थी सं. 1 छगनाराम के पास खातेदारी का एक खेत, एक ट्रेक्टर, एक बाडा उक्त पटटा सं. 37 के अलावा ग्राम धारणा मे है, जिससे अप्रार्थी सं. 1/रेस्पोडेन्ट बी.पी.एल. परिवार अथवा गरीब परिवार की श्रेणी मे नही आता है, फिर भी सरपंच ग्राम पंचायत दुगस्ताउ ने निःशुल्क पटटा जारी करने का कोई कारण नही दर्शाया गया है एवं ना ही भौतिक रूप से अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा पटटासुद भूमि पर कभी भी रहा, ऐसी दशा मे निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त पटटा खारिज किया जाना विधि सम्मत है।

3– वकील अप्रार्थी सं. 3 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे जारी किया गया पटटा पंचायत राज अधिनियम के तहत सभी प्रावधानो की पालना करते हुए जारी किया गया है। पटटा जारी होना असल पटटा रजिस्टर से साबित है तथा अप्रार्थी द्वारा रसीद सं. 27 दिनांक 28.05.71 के द्वारा कोर्ट फीस व नक्शा फीस की राशि ग्राम पंचायत मे जमा करवायी गयी है। जो रोकड बही दिनांक 28.05.71 के पृष्ठ 2 मे दर्ज होना अंकित है। इस प्रकार पटटा कूटरचित अथवा फर्जी जारी हुआ हो, ऐसा कतेई नही है। विवादित जायगा पर अप्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा रहता चला आया है। निगरानी निरस्तनीय है।

4– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मिसल सं. 87 के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 छगनाराम के पक्ष में जारी पट्टा सं. 37 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त पटटा रजिस्टर वर्ष 1971 के अनुसार मिसल सं. 87 से पटटा सं. 37 अप्रार्थी छगनाराम के नाम से जारी

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

किया जाना रिकार्ड से साबित है तथा रोकड पंजिका अवधि 28.05.71 से 01.03.74 के पृष्ठ सं. 2 के अनुसार रसीद सं. 27 दिनांक 28.05.71 को अप्रार्थी छगना पुत्र पूसा द्वारा कोर्ट फीस व नक्शा फीस की राशि भी जमा करवाया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे पटटा जैर निगरानी फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज हो, उपलब्ध अभिलेख से यह पूर्णतया साबित नही होता, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर